



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2010/माघ 23, 1931

No. 290]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2010/MAGHA 23, 1931

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

का.आ. 338(अ).—अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/16/95-एम-VI (पार्ट III)]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

ORDER

New Delhi, the 11th February, 2010

S.O. 338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby appoints 15th day of January, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/16/95-M-VI (Part III)]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

का.आ. 339(अ).—अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 4 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को प्रशासित करने वाले प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1/16/95-एम-VI (पार्ट III)]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th February, 2010

S.O. 339(E).—In pursuance of the powers conferred by clause (a) of Section 4 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby notifies the Controller General, Indian Bureau of Mines as the administering authority for the purpose of the said Act.

[F. No. 1/16/95-M-VI (Part III)]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

का.आ. 340(अ).—अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 22 की व्याख्या के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय खान ब्यूरो में महानियंत्रक को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1/16/95-एम-VI (पार्ट III)]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2010

S.O. 340(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Explanation to Section 22 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby notifies the Controller General in the Indian Bureau of Mines, to be the authorized officer.

[F. No. 1/16/95-M-VI (Part III)]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

का.आ. 341(अ).—अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 28 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार को उक्त धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 1/16/95-एम-VI (पार्ट III)]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th February, 2010

S.O. 341(E).—In pursuance of sub-section (2) of Section 28 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby designates Secretary, Ministry of Mines, Government of India as the authorized officer to hear and decide the cases relating to clauses (a) and (b) of sub-section (1) of the said section.

[F. No. 1/16/95-M-VI (Part III)]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.